

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

17/12/2021 17:22 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 17/12/2021 Time (समय): 17:22 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 013 Date and Time (दिनांक और समय): 17/12/2021 17:22 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): अम्बाला, जिला अम्बाला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)): AMBALA (HARYANA)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): देवराज

(b) Father's Name (पिताका नाम): गुरदयाल चन्द

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1971

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	वार्ड न0 14, वकील कालोनी चीका जिला कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	वार्ड न0 14, वकील कालोनी चीका जिला कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है- सेवा मे, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं देवराज पुत्र श्री गुरदयाल चन्द वासी वार्ड न0 14 वकील कालोनी चीका जिला कैथल का रहने वाला हूँ और मेरा जग्गा ट्रांसपोर्ट कम्पनी नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। मेरी ट्रांसपोर्ट मे 09 गाडिया (ट्रक) है जो मेरी गाडिया दिल्ली-लुधियाना हाईवे पर चलती है। 03 नवम्बर 2021 को गाँव मोहडा जिला अंबाला के पास एक इनोवा कार न0 HR-69A-5260 जिसमे अंबाला आर.टी.ए. का स्टाफ चैकिंग कर रहा था। जिनके द्वारा मेरा ट्रक न0 HR-64A-9916 समय करीब सुबह 6.40ए.एम. के आस पास रुकवाई और मेरे ड्राइवर पालाराम उर्फ राजू का मोबाईल फोन लेकर उससे गाडी मे रखे समान(माल) की बिल्टी मांगी जिस पर मेरे ड्राइवर ने बिल्टी दे दी बिल्टी लेने के बाद कांटा पर्ची की मांग की मेरे ड्राइवर के पास कांटा पर्ची नही थी। उसके बाद वो मेरी गाडी को दुखेडी

रोड मोहडा (अंबाला) गोपाला कांटे पर ले गए जब कांटे पर गाड़ी चढ़ाई तो बिल्टी वाला वजन ओवर लोड पाया लेकिन गोपाला कांटा से पर्ची नहीं ली गई । उसके बाद मेरे मोबाईल नं० 92155-73532 पर मेरे ड्राइवर पालाराम उर्फ राजू ने अपने फोन नं० 94683-02370 से उपरोक्त बातें बतलाई। फिर मेरे ड्राइवर ने आर.टी.ए. स्टाफ के सदस्य से मेरी अपने फोन से बात करवाई। जब मैंने आर.टी.ए. के स्टाफ मेंबर से बात की तो उसने कहा कि आपका 38,000/- का जुर्माना बनता है। आप अपने ड्राइवर से आधे पैसे दिलवा दो नहीं तो छुट्टिया के कारण आपकी गाड़ी 04 दिन तक इम्पाउंड खड़ी रहेगी। मैंने उनसे कहा ड्राइवर के पास इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर मैंने कहा आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ तो उसने कहा हम अपने अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते। फिर आर.टी.ए. स्टाफ के सदस्य ने कहा कि गूगल पे नंबर दे रहा हूँ इसमें पैसे डाल दो तो मैंने उस नंबर 90505-00069 में गूगल पे से 20,000/- रुपये डाल दिए और उसी समय आर.टी.ए. स्टाफ ने मेरा ट्रक नं० HR-64A-9916 को छोड़ दिया। मैंने कॉल करके पूछा कि पैसे चैक कर लो मैंने पैसे डाल दिए हैं तो उसके बाद आर.टी.ए. स्टाफ मेंबर ने मेरे ड्राइवर को बोला अगर आगे से गाड़ी ओवरलोड चलानी है तो एक नम्बर 89501-11717 जिसका नाम जस्सी लिख कर दिया और बोले इससे बात कर लेना और आपको एक मार्का मिलेगा फिर आप जैसे मर्जी अपनी ओवरलॉड गाड़ी चलाना। मैंने उस मोबाईल नम्बर पर बात की तो उसने मेरे को बोला कि पुछकर आपको बताता हूँ। उसके कुछ देर बाद मैंने 90505-00069 पर कॉल की तो उस आदमी ने फोन उठाया तो मैंने उससे पूछा कि मुझे अम्बाला आर.टी.ए. का फोन नम्बर दे दो तो वो बोला आपको क्या काम है। मैंने उससे कहा कि मेरी सुबह गाड़ी पकड़ ली थी और मैंने आपको इस नम्बर पर 20,000/- का गूगल पे किया था। मुझे आर.टी.ए. स्टाफ ने एंट्री के लिए जो नम्बर दिया था, मैंने उससे बोला वो नम्बर लग नहीं रहा तो मैंने आपको कॉल कर ली वो आदमी मुझे बोला कि मैं आपकी गाड़ियों की एंट्री 6,500/- रुपये प्रति महिना के हिसाब से करवा दूंगा और फिर उस दिन से मेरी मोबाईल नम्बर 90505-00069 पर बातें चलती रही और मैंने तीन ट्रक जिनके नम्बर HR-64A-9916, PB-11CM-2540 व PB-11CS-5751 हैं उसको भेज कर 6,000/- रुपये प्रति ट्रक प्रति माह के हिसाब से 18,000/- रुपये रिश्त के रूप में दिनांक 19.11.2021 को उसके गुगल-पे खाता 90505-00069 में मांगने पर डाल दिये। जिसके बाद मेरे उपरोक्त ट्रकों को 05 दिसम्बर 2021 तक आर.टी.ए. स्टाफ के किसी सदस्यो द्वारा नहीं रोका गया। फिर मेरे मोबाईल पर 90505-00069 से फोन आया और उसने मेरे ट्रकों के नम्बर दिसम्बर माह की इन्ट्री(रुपये) के लिये मांगे। जिस पर मैंने उससे कुछ समय मांगा और आज मैंने मोबाईल 90505-00069 पर बात करके अपने दो ट्रकों के नम्बर HR-64A-9916 व PB-11CS-5751 उसको भेज दिये जिसने ट्रकों को ना पकड़ने की एवज में कुल 12,000/- रुपये अपने व आर.टी.ए. स्टाफ के लिये महिना रिश्त के रूप में स्टीकर देने के लिये मांग की है और बुला रहा है। मैं पहले भी एक बार इस व्यक्ति से इसी सन्दर्भ में मिल चुका हूँ। लेकिन मैं इसका नाम नहीं जानता और सामने आने पर पहचान सकता हूँ। मैं उस व्यक्ति व आर.टी.ए. स्टाफ के सदस्यों को अपने ट्रकों को ना पकड़ने की एवज में महिना रिश्त नहीं देना चाहता हूँ। कृपया उस व्यक्ति व आर.टी.ए. स्टाफ के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। उपरोक्त के सम्बन्ध में मैंने उपरोक्त आर.टी.ए. एजेंटों व आर.टी.ए. स्टाफ के सदस्यों के साथ हुई बातचीत की रिकार्डिंग को अपने मोबाईल से आपको पेश कर दूंगा। sd देवराज, देवराज पुत्र श्री गुरदयाल चन्द वासी वार्ड नं० 14 वकील कालोनी चीका जिला कैथल। कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक हाजिर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला हूँ कि देवराज पुत्र श्री गुरदयाल चन्द वासी वार्ड नं० 14 वकील कालोनी चीका जिला कैथल ने हाजिर कार्यालय आकर एक टाईप शुदा दरखास्त मय रिश्त राशि 500/500 रुपये के 24 नोट कुल रकम 12,000/- हजार रुपये मन निरीक्षक को पेश की। मन निरीक्षक ने शिकायत कर्ता से रैड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये 12 हजार रुपये करन्सी नोट जिनमें 500/500 रुपये के नम्बरी मुताबिक सूची नोट को फर्द द्वारा बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लेकर फर्द सूची नोट तैयार की गई फर्द पर पेश कर्ता ने अपने हस्ताक्षर किये। दरखास्त उपरोक्त से जुर्म जेर धारा 7-A पी.सी.एक्ट 1988 का होना पाया जाकर दरखास्त पर तहरीर हजा लिखी जाकर बराये करने अंकित अभियोग हवाले मोहर्र थाना की गई । मिसल मुकदमा व असल तहरीर मौका पर भिजवाने व प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब अम्बाला की सेवा में भिजवाने बारे हिदायत देकर मन निरीक्षक मय स.उ.नि. दलबीर सिंह न. 97/करनाल, मु.सि. अशोक कुमार न. 645/अम्बाला, मु.सि. बीरबल न. 1080/करनाल, सि. सुरेश कुमार न. 517/कैथल व सि. नवीन कुमार न.5/804 कम्पयुटर आपरेटर मय शिकायतकर्ता देवराज उपरोक्त के बा सवारी गाड़ी सरकारी न. एच.आर.03जैड-3958 जिसका चालक स.उ.नि. सतबीर सिंह 796/यमुनानगर के रैडिंग पार्टी तैयार करके बराये लेने प्रमीशन रैड रवाना उपायुक्त कार्यालय अम्बाला व मौका रैड का होता हूँ। तफतीशी बैग, लैपटाप व प्रिन्टर हमरा लिया गया । अफसरानबाला को हालात बारे अवगत करवाया गया ।

अज-कार्यालय रा.चौ.ब्यूरो अम्बाला । sd Insp Somesh रा.चौ.ब्यूरो अम्बाला दिनांक 17.12.2021 at. 4.50 pm. अज थाना – लिखित लेख उपरोक्त बाजूम उपरोक्त थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 11 दिनांक 17.12.2021 धारा 7-A पी.सी. एक्ट -1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख बदस्त ई.एच.सी. हरपाल सिंह न. 565/अम्बाला के निजद ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला व निजद अनुसंधानकर्ता बर मौका किया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजावाई जायेंगी। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SOMESH Rank (पद): I (Inspector) KUMAR
No. (सं.): 101A to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Sh. RamDutt

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): A121

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.